(५५)

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

5537
03.11.2023

अधिसूचना

संख्या–2डी0/शि0स्था0–60–01/2014.......................... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**

(1) यह नियमावली **"बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय के विद्यालय अध्यापकों पर होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएँ।–** जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध नहीं हो, इस नियमावली में –

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;

(ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल ;

(iii) 'विभाग' से अभिप्रेत है, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ;

(iv) 'नियमावली' से अभिप्रेत है, ''बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023'' ;

(v) 'डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय' से अभिप्रेत है, विभाग के नियत्रंणाधीन ऐसा विद्यालय जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं की +2 स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था हो ;

(vi) विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है,

(a) इस नियमावली के अधीन डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक ;

(b) इस नियमावली के अधीन डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक ;

(c) इस नियमावली के अधीन डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय में कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक ;

(vii) 'प्रधानाध्यापक' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन डॉ भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय में नियुक्त/प्रोन्नत प्रधानाध्यापक ;

(viii) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है, अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;

(ix) 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;

(x) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग ;

(xi) 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा;

(xii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है, निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ;

(xiii) 'अनुशासनिक प्राधिकार' से अभिप्रेत है, संबंधित सभी कोटि के विद्यालय अध्यापक हेतु नियुक्ति प्राधिकार ;

(xiv) 'अपीलीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है, प्रधान सचिव/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ;

(xv) 'शिक्षक प्रशिक्षण' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 के प्रवृत होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत होने के उपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डी0एल0एड0/बी0एड0/बी0ए0एड0/बी0एससी0एड0 की

उपाधि या 3 वर्षीय एकीकृत बी0एड0–एम0एड0 की उपाधि या बी0ए0एड0/बी0एससी0एड0 की 04 वर्षीय डिग्री या 04 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0) या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) अथवा इसके समतुल्य अथवा वैसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0एल0एड0/ बी0एड0/ बी0पी0एड0/ बी0ए0एड0/ बी0एससी0एड0 की उपाधि। साथ ही, समय–समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अर्हता ;

स्पष्टीकरण:– शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3. **संवर्ग।–**

(1) इस संवर्ग का गठन कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक, कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद से होगा।

(2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

4. **संवर्ग बल।–** इस संवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद की तिथियों से सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

5. **संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।–** संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार होगा, जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा एवं संवर्ग के सदस्यों पर जिला कल्याण पदाधिकारी का परिचालनात्मक नियंत्रण होगा।

6. **विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता।–** विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी:–

(i) भारत का नागरिक हो।

(ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक, कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के लिए शिक्षा विभाग के समकक्ष पदों तथा कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापक के लिए शिक्षा विभाग के कक्षा–9 से 10

71

तक के अध्यापक के लिए निर्धारित तथा समय—समय पर यथा संशोधित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगा।

(iii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

(iv) विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण शिक्षा विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा समय—समय पर किया जायेगा।

(v) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापक के सभी पदों (कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक, कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापक) पर सीधी नियुक्ति अथवा प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में किसी संशोधन/स्पष्टीकरण/निर्णय की स्थिति में न्यूनतम अर्हता का पुर्ननिर्धारण शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समय—समय पर आदेश निर्गत कर किया जा सकेगा।

7. **आयु।**— कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर विहित की जाय। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय—समय पर विहित की जाय। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 31 वर्ष एवं एवं अधिकतम आयु—47 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग में अध्यापक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित छूट अनुमान्य होगा।

8. (1) **कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता।**— कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के 20 प्रतिशत पद, इस पद पर नियुक्ति की अहर्त्ता रखने वाले कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता वही होगी, जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

(2) **अनुभव।**— कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक से कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी0एड0/बी0ए0एड0/बी0एससी0एड0) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो।

(3) कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति के लिए अन्य योग्यताएँ यथा सेवा सम्पुष्टि, आरोप की स्थिति, पूर्व के वर्षों का गोपनीय चारित्री आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

(4) कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत पदों पर रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति वर्ष में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रोन्नति के लिए रिक्त पदों को उसी नियुक्ति वर्ष के प्रारंभ में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु निर्धारित 80 प्रतिशत पदों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

9. (1) **कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता** :– कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के 20 प्रतिशत पद, इस पद पर नियुक्ति की अहर्त्ता रखने वाले कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता वही होगी, जो कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

(2) **अनुभवः**– कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी0एड0/बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 4 वर्षों की लगातार सेवा हो।

(3) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति के लिए अन्य योग्यताएँ यथा सेवा सम्पुष्टि, आरोप की स्थिति, पूर्व के वर्षों का गोपनीय चारित्री आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

(4) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर प्रोन्नति के निर्धारित 20 प्रतिशत पदों पर रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति वर्ष में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रोन्नति के लिए रिक्त पदों को उसी नियुक्ति वर्ष के प्रारंभ में कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु निर्धारित 80 प्रतिशत पदों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

10. **प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति** :– प्रधानाध्यापक के 20 प्रतिशत पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्ति की जायेगी।

11. (1) **प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता** :– प्रधानाध्यापक का 80 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता वही होगी, जो प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित है।

(2) **अनुभवः**– कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता (बी0एड0/बी0ए0एड0/बी0एससी0एड0) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 8 वर्षों की लगातार सेवा हो,

अथवा

कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता बी0एड0/बी0ए0एड0/बी0एससी0एड0) प्राप्त करने की तिथि (जो बाद की तिथि हो) से न्यूनतम 4 वर्षों की लगातार सेवा हो,

(3) प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति के लिए अन्य योग्यताएँ यथा सेवा सम्पुष्टि, आरोप की स्थिति, पूर्व के वर्षों का गोपनीय चारित्री आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

(4) प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति के निर्धारित 80 प्रतिशत पदों पर रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति वर्ष में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रोन्नति के लिए रिक्त पदों को उसी नियुक्ति वर्ष के प्रारंभ में प्रधानाध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत पदों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

12. **प्रोन्नति समिति का गठन**।– संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दिया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

13. **आरक्षण**।– इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी भर्ती/प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त आरक्षण के प्रावधान प्रभावी होंगे।

14. **नियुक्ति की प्रक्रिया**।–

(i) विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु मुख्यालय स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।

(ii) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक–अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

(iii) शिक्षा विभाग के समकक्ष पदों हेतु निर्धारित परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के पैटर्न इस नियमावली के समकक्ष पदों के लिए लागू होगा तथा शिक्षा विभाग में समकक्ष पदों के लिए समय–समय पर यथा संशोधित परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं

परीक्षा के पैटर्न प्रभावी होंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iv) उक्त परीक्षा के अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

(v) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

(vi) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

15. **प्रमाण पत्रों की जाँच ।–**

(i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच करा लेंगे। परन्तु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है।

(ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमान्ड रिकॅवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

16. **वेतनमान।–** शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित एवं समय–समय पर यथा–संशोधित स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य सुविधायें नवस्वीकृत/रिक्त पदों पर नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशासी विभाग के अनुमोदनोपरांत देय होगी।

17. **सेवा संबंधी शर्तें ।–**

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित एवं समय–समय पर यथा–संशोधित सेवा शर्तें नवस्वीकृत/रिक्त पदों पर नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को देय होगी।

18. **वरीयता का अवधारण।–** (i) सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता चयन के मेधा क्रम से अवधारित की जायेगी।

(ii) प्रोन्नत पद पर वरीयता का निर्धारण अधिसूचना/आदेश की तिथि से होगा; एक ही अधिसूचना/आदेश के अधीन पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उस पद पर प्रोन्नति हेतु वर्णित अनुभव की गिनती की तिथि (जिसका पहले हो) से होगा।

19. **परीक्ष्यमान अवधि**।– (i) सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से दो वर्षो के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी जो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवामुक्त कर सकेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

20. **सेवा सम्पुष्टि**।– परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जाँच होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

21. **सेवा पुस्तिका का संधारण**।– शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा।

22. **सेवाकालीन प्रशिक्षण**।– शिक्षकों के क्षमतावर्धन हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें उनका भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के संबंध में विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत किया जा सकेगा।

23. **आचरण संहिता** ।–

(i) निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढ़ंग से पूर्ण करना/कराना।

(ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना।

(iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना।

(iv) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।

(v) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।

(vi) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

(vii) विद्यालय अध्यापक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान भी प्रभावी होंगे।

24. **अनुशासनिक कार्रवाई।–** बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर संशोधित) में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा।

25. **अपील।–** इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक/प्रधानाध्यापक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति प्रधान सचिव/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की होगी।

26. **अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।–** इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकम्पा पर नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जा सकेगा।

27. **सेवानिवृत्ति।–** संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु वही होगी जो तत्समय शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा परिवर्तन किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा समकक्ष पदों के लिए इस परिवर्तन को लागू करने का अधिकार प्रशासी विभाग को होगा।

28. **स्थानान्तरण।–** संवर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक का पद स्थानान्तरणीय होगा। विभाग आवश्यकतानुसार पठन–पाठन की व्यवस्था हेतु एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने अधीन किसी भी विद्यालय में ऐसा स्थानान्तरण कर सकेगा।

29. **प्रकीर्ण।–** प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी प्रावधानों को स्पष्ट कर सकेगा तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर कर सकेगा।

30. **विनियम बनाने की शक्ति।–** इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासी विभाग विनियमावली बना सकेगा।

31. **निर्वचन।–** इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो तो प्रशासी विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और प्रशासी विभाग का विनिश्चिय अंतिम होगा।

32. **निरसन एवं व्यवृति।–** (1) शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश/संकल्प/नियमावली आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) इस निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश/संकल्प/नियमावली आदि के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दिवेश सेहरा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2डी0/शिक्षा0स्था0-60-01/2014– 5537 **पटना/दिनांक–** 03.11.2023

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो प्रतियों एवं सी0डी0 के साथ ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2डी0/शिक्षा0स्था0-60-01/2014– 5537 **पटना/दिनांक–** 03.11.2023

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2डी0/शिक्षा0स्था0-60-01/2014– 5537 **पटना/दिनांक–** 03.11.2023

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2डी0/शिक्षा0स्था0-60-01/2014– 5537 **पटना/दिनांक–** 03.11.2023

प्रतिलिपिः–निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0टी0मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 2डी0/शिक्षा0स्था0-60-01/2014– 5537 **पटना/दिनांक–** 03.11.2023

प्रतिलिपिः–आप्त सचिव, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

(1082)

Government of Bihar

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department 5537 / 03.11.2023

Notification

N0.-2D/Edu.Est. -60-01/2014 **Patna , Date .....**

In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules to regulate the appointment, promotion and other service conditions for the post of teachers and headmasters in the Dr. Bhimrao Ambedkar 10+2 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Residential Schools functioning under the administrative control of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department. :-

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These rules shall be called the **"Bihar Government Ambedkar Residential School teacher (Appointment, Promotion, Disciplinary Action and Service Conditions) Rules, 2023"**.

(2) It shall extend to the teachers of Dr. Bhimrao Ambedkar 10+2 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Residential Schools functioning under the administrative control of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department in the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of issue of notification .

2. Definitions:-

In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context.

(i) **"Government"** means the Government of the State of Bihar.

(ii) **"Governor"** means the Governor of Bihar.

(iii) **"Department"** means the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department.

(iv) **"Rules"** means the "Bihar Government Ambedkar Residential School teacher (Appointment, Promotion, Disciplinary Action and Service Conditions) Rules, 2023".

(v) **"Dr. Bhimrao Ambedkar 10+2 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Residential School"** means a School under the control of the Administrative Department with provision for education of Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys/girls up to +2 level.

(1081)

(vi) **"School teacher"** means

(a) Teacher appointed for teaching from classes 1 to 5 in the Dr. Bhimrao Ambedkar 10+2 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Residential Schools under these rules;

(b) Teacher appointed for teaching from classes 6 to 10 in the Dr. Bhimrao Ambedkar 10+2 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Residential Schools under these rules;

(c) Teacher appointed for teaching from classes 11 to 12 in the Dr. Bhimrao Ambedkar 10+2 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Residential Schools under these rules;

(vii) **"Headmaster"** means the Headmaster appointed/promoted in the Dr. Bhimrao Ambedkar 10+2 Scheduled Caste and Scheduled Tribe Residential Schools under these rules.

(viii) **"University"** means a University constituted under a statute or a University recognized by the University Grants Commission;

(ix) **"National Council for Teacher Education"** means the Council for regulating specified training institutions and training system at the national level;

(x) **"Commission"** means the Bihar Public Service Commission.

(xi) **"Teacher Eligibility Test"** means Eligibility Test conducted by the State Government/Union Government or by the agency authorized by them towards appointment to be made through direct recruitment process for the post of School teachers under these rules;

(xii) **"Appointing Authority"** means the Director, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department;

(xiii) **"Disciplinary Authority"** means the Appointing Authority for all categories of School teachers;

(xiv) **"Appellate Authority"** means the Principal Secretary/Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department:

(xv) **"Teacher's Training"** means degree of D.El.Ed./B.Ed./B.A.Ed./ B.Sc.Ed. or, 3 years integrated B.Ed.-M.Ed. degree or, 04 years B.A.Ed./ B.Sc.Ed. degree or, 04 years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) from institutions recognized either by the Central or any State Government before the coming into force of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993; or, from institutions recognized by the National Council for Teacher

(1080)

Education after the coming into force of the National Council for Teacher Education Act, 1993; or, Graduation of at least one year duration in Physical Education (B.P.Ed.) from any institution recognized by the National Council for Teacher Education or, its equivalent or, D.El.Ed./B.Ed./ B.P.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed. degree from an institution recognized by such State/Union Territories where the National Council for Teacher Education (NCTE) Act is not in force. Along with this, Teacher training qualification as determined by the National Council for Teacher Education (NCTE) from time to time.

Explanation:- The decision of the Department in consultation with the Education Department, Government of Bihar shall be final in case of any dispute on the point of validity of any teacher training degree or on the point of equivalence of any particular degree.

3. Cadre:-

(1) This cadre shall be formed of the post of School teacher appointed for teaching from classes 1 to 5, School teacher appointed for teaching from classes 6 to 10, School teacher appointed for teaching from classes 11 to 12 and Headmaster.

(2) This cadre shall be of the State level.

4. Cadre Strength:- The number of posts of each category of this cadre and its total strength shall be such as has been sanctioned/determined by the government till the date of coming into force of these rules and subsequently as sanctioned or determined by the government from time to time as per the requirement.

5. Administrative Control on Cadre Members:- The Administrative Department of all categories of posts under this cadre shall be the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department, Bihar, which will exercise administrative control over all cadre members; and District Welfare Officers will have operational control over cadre members.

6. Minimum qualification for appointment to the post of School teacher and Headmaster:- The essential qualification for appointment to the post of School teacher shall be as follows :-

(i) The candidate must be a citizen of India;

(ii) The Educational and training eligibility for School teachers for 1 to 5, School teachers for class 11 - 12, Headmaster shall be same as applicable to equivalant teaching post in education department, while

(1079)

the eligibility for School teachers for class 6 to 10 shall be as applicable to teaching post of class 9 - 10 in Education Department.

(iii) The candidate must have passed the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government/Union Government from time to time;

(iv) The Department shall determine special qualification for particular subjects from time to time separately in consultation with the Education Department.

(v) In case of any amendment/clarification/decision regarding the minimum qualification for direct appointment to the post of all School Teacher (School teachers for 1 to 5, School teachers for class 6 to 10 and School teachers for class 11 - 12) or appointment/promotion of the post of Headmaster by the Education Department, Government of Bihar, the minimum qualification may be re-determined from time to time by the Appointing Authority by the issue of an order after consultation with the Education Department.

7. Age:- For appointment to the post of School teacher from class 1 to 5, the minimum age of the candidates as on the 1st August of the year of appointment shall be 18 years and the category wise maximum age limit shall be the same as determined by the State Government (General Administration Department) from time to time. For appointment to the post of School teacher from class 6 to 10 and School teacher from class 11 to 12, the minimum age of the candidates as on the 1^{st} of August of the year appointment shall be 21 years, and the category- wise maximum age limit shall be the same as determined by the State Government (General Administration Department) from time to time. For appointment to the post of Headmaster, the minimum age of the candidates shall be 31 years and maximum age 47 years as on the 1st August of the year of appointment. For teachers in the reserved category, relaxation in the maximum age limit as provided by the General Administration Department shall be admissible.

8. (1) **Minimum qualification for promotion to the posts of School teacher of class 6 to 10:-** Twenty percent posts of School teachers of classes 6 to 10 shall be filled by promotion from School teachers of classes 1 to 5 possessing the requisite qualification for appointment to this post. The minimum qualification for promotion

to the post of School teacher of class-6 to 10 shall be the same as prescribed for direct appointment to the post of School teacher from class 6 to 10.

(2) **Experience :-** For promotion from class 1 to 5 School teacher to class 6 to 10 School teacher, there must be a minimum of 8 years continuous service from either the date of joining to the post of class 1 to 5 School teacher or from the date of attaining training qualification for the post (B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed.), whichever is later.

(3) For promotion to the posts of School teachers of class 6 to 10, provisions prescribed by the General Administration Department, Bihar and as amended from time to time shall be applicable in respect of other qualifications such as service confirmation, vigilance clearance, confidential roll of previous years etc.

(4) In the event of non-availability of eligible candidates in the year of appointment against 20 percent of the vacancies fixed for promotion to the posts of School teachers of class 6 to 10, the vacant posts for promotion may be added with the 80 percent of the posts fixed for appointment through direct recruitment for School teachers of class 6 to 10 at the beginning of the same appointment year.

9. (1)Minimum qualification for promotion to the posts of School teacher of class 11 to 12:- Twenty percent posts of School teachers of class 11 to 12 shall be filled by promotion from School teachers of class 6 to 10 possessing the requisite qualification for appointment to this post. The minimum qualification for promotion to the post of School teacher of class 11 to 12 shall be the same as prescribed for the direct appointment of School teachers of class 11 to 12.

(2) **Experience:-** For promotion from class 6 to 10 School teacher to class 11 to 12 School teacher, there must be a minimum of 4 years continuous service from either the date of joining to the post of class 6 to 10 School teacher or from the date of attaining training qualification for the post (B.Ed./B.A.Ed./B.Sc Ed.), whichever is later.

(3) For promotion to the posts of School teachers of class 11 to 12, provisions prescribed by the General Administration Department, Bihar and as amended from time to time shall be applicable in

1077

respect of other qualifications such as service confirmation, vigilance clearance, confidential roll of previous years etc.

(4) In the event of non-availability of eligible candidates in the year of appointment against 20 percent of the vacancies fixed for promotion to the posts of School teachers of class 11 to 12, the vacant posts for promotion may be added with the 80 percent of the posts fixed for appointment through direct recruitment for School teachers of class 11 to 12 at the beginning of the same appointment year.

10. Appointment to the post of Headmaster:-Appointment to the 20 percent posts of Headmaster shall be made through direct recruitment by the Bihar Public Service Commission.

11. (1) **Minimum qualification for promotion to the post of Headmaster:-** Eighty percent of the post of Headmaster shall be filled by promotion. The minimum qualification for promotion to the post of Headmaster shall be the same as prescribed for direct appointment to the post of Headmaster.

(2) **Experience:-** For promotion to the post of Headmaster, there must be a minimum of 8 years continuous service from either the date of joining to the post of class 6 to 10 School teacher or, from the date of attaining training qualification for the post (B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed.), whichever is later.

Or

For promotion to the post of Headmaster, there must be a minimum of 4 years continuous service from either the date of joining to the post of class 11 to 12 School teacher or, from the date of attaining training qualification for the post (B.Ed./B.A.Ed./B.Sc.Ed.), whichever is later.

(3) For promotion to the posts of Headmaster, provisions prescribed by the General Administration Department, Bihar and as amended from time to time shall be applicable in respect of other qualifications such as service confirmation, vigilance clearance, confidential roll of previous years etc.

(4) In the event of non-availability of eligible candidates in the year of appointment against 80 percent of the vacancies fixed for promotion to the posts of Headmaster, the vacant posts for promotion may be added with the 20 percent of the posts fixed for appointment through direct recruitment at the beginning of the same appointment year.

12. Constitution of Promotion Committee:- Promotion to different posts may be given on the basis of recommendations of the Departmental

Promotion Committee. A separate order shall be issued by the Department regarding the constitution of the Departmental Promotion Committee.

13. Reservation:- In direct recruitment/promotion for all categories of posts of this cadre, the provisions for reservation as implemented from time to time by the General Administration Department, Government of Bihar shall be applicable .

14. Process of appointment :-

(i) Reservation category wise requisition along with roster clearance shall be sent by the Department to the Commission as per requirement after calculating the vacant posts at the headquarter level for direct appointment to the post of School teacher.

(ii) The Commission shall advertise the number of vacant posts as per the requisition received for direct recruitment. The candidature of the teacher- aspirant candidate shall be evaluated on the basis of self-declaration form with regard to qualification filled up by the candidate in the application form advertised by the Commission.

(iii) The syllabus and pattern of examination prescribed for equivalent posts (as amended from time to time) under the Education Department shall be applicable for said posts under these Rules. As per the prescribed syllabus, the Commission shall conduct examination, set question papers, evaluate the answer sheets and publish the examination results.

(iv) The discretion to fix the qualifying marks for the said examination shall vest with the Commission.

(v) Appointment shall be made by the Appointing Authority in accordance with the recommendation made on the basis of the said examination conducted by the Commission.

(vi) The recommendation made by the Commission shall not confer the right of appointment unless the Department, after the verification of necessary certificates is satisfied that the candidate is suitable for appointment to the post of School teacher in all respects.

15. Verification of certificates:-

(i) It shall be the duty of the Appointing Authority to get the educational/training qualification and experience related certificates along with other certificates verified as necessary, before issuing the appointment letter. However, provisional appointment letter may be

1075

issued in the interest of work and the certificates may be verified within the time limit fixed by the Department.

(ii) In case the certificate is found to be forged or incorrect, the appointment shall be cancelled and recovery of the amount paid under the head of salary etc. shall be made under the provisions of **The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914** besides other legal action.

16. Pay Scale:- The approved pay scale and other facilities prescribed for School teachers by the Education Department, Govt. of Bihar as amended from time to time shall be admissible to the School teachers and headmasters to be appointed on the newly sanctioned/vacant posts .

17. Service conditions:-

The Service conditions prescribed for the School teachers by the Education Department , Govt. of Bihar as amended from time to time , shall be applicable to the School teachers and Headmasters to be appointed on newly sanctioned/ vacant posts, subject to aproval of the Department.

18. Determination of Seniority:-

(i) The inter- se- seniority among the teachers appointed through direct recruitment shall be determined by the merit order of the selection.

(ii) The seniority on the promotional post shall be determined from the date of notification/order; inter-se-seniority under the same notification/order shall be determined from the date of counting the experience (whosoever's is earlier) as mentioned for the promotion to that post.

19. Probation Period:-

(i) The probation period for the School teachers to be appointed by direct recruitment shall be two years from the date of joining. In case the probation period is not found to be satisfactory, the probation period may be extended for one year. If the service is not found to be satisfactory even in the extended period , then the appointing authority may discharge such School teacher after giving him an opportunity of being heard .

(ii) The School teacher shall have to successfully complete the institutional training/other training prescribed by the department during the period of probation.

20. Service Confirmation:- Confirmation in service shall be done after satisfactory completion of probation period, successful completion of training and verification of education/training certificates etc.

21. Maintenance of Service Book:- Maintenance of service book of teachers shall be done at the level of District Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Officer.

22. In Service Training:- Arrangements of in-service training shall be made for capacity building of teachers, in which their participation shall be mandatory. Separate detailed guidelines shall be issued by the Department regarding the training.

23.Code of conduct:-

(i) Completion of the syllabus as prescribed in an easy and accessible manner.

(ii) Attendance in school on time and conduct of classes as per the prescribed routine.

(iii) Not allowing children to be harassed mentally and physically; while ensuring protection of child rights.

(iv) Not to consume any kind of toxic substances.

(v) Play an active role in eradicating social evils especially child marriage and dowry.

(vi) To follow the directions issued from time to time by the Bihar School Examination Board for the successful conduct of Annual Secondary Examination and Higher Secondary Examination.

(vii) The provisions contained in the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 (as amended from time to time) shall also be applicable to School teachers.

24. Disciplinary Actions:- The provisions contained in **Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005** (as amended from time to time) shall be applicable to the School teachers appointed under these rules.

25. Appeals:- Principal Secretary/ Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department shall have the power to decide complaints/appeals related to appointment under these rules and matters related to service conditions of School teachers/Headmasters working under these rules, after due hearing.

1073

26. Appointment on compassionate ground:- Separate provision may be notified by the Department regarding compassionate appointment of dependents of School teachers appointed under these rules in case of their death during service.

27. Retirement:- The age of retirement for various posts of the cadre shall be the same as prescribed by the Educational Department, Government of Bihar at that time. In the event of change in the age of retirement for various posts of the cadre by the Education Department, Bihar, the Department shall have the right to implement this change for equivalent posts.

28. Transfer:- The post of School teacher appointed on various posts of the cadre shall be transferable. The Department shall be able to effect such transfer to any of the schools under it for smooth functioning and seamless academic activities and from administrative point of view.

29. Miscellaneous:- The Administrative Department may clarify any provisions of these rules and remove the difficulties arising in its implementation.

30. Power to make Regulations:- To give effect to the provisions of these rules the Administrative Department shall be empowered to make regulations.

31. Interpretation:- If any doubt arises regarding the interpretation of any provision of these rules, it shall be decided by the Administrative Department and such decision of the Administrative Department shall be final.

32. Repeal & Saving:-

(1) Departmental Orders/Resolutions/Rules etc. issued in the past related to the appointment of teachers are hereby repealed.

(2) Notwithstanding this repeal, work done or action taken under departmental orders/resolutions/rules etc. issued earlier shall be deemed as if these rules were in force on the day such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

(Divesh Sehara)

Secretary to Government

Memo No. 2D/ Teach.Est.-60-01/2014- 5537 Patna Dated- 03.11.2023

Copy to Superintendent, e-Gazette, Finance Department, Bihar Patna with CD & Hard Copy for published in next gazette.

Secretary to Government

Memo No. 2D/ Teach.Est.-60-01/2014- 5537 Patna Dated- 03.11.2023

Copy to Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna with CD & Hard Copy for published in next gazette.

Please arrange 500 copy and send to SC & ST welfare Department, Bihar, Patna.

Secretary to Government

Memo No. 2D/ Teach.Est.-60-01/2014- 5537 Patna Dated- 03.11.2023

Copy to:- A.G, Bihar, Birchand Patel Path. Patna/All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/All Departmental head/All Divisional Commissional/All District Megistrate/All Deputy Development Commissioner/All Treasury Officer/ All Sub Treasury Officer for information and further necessary action.

Secretary to Government

Memo No. 2D/ Teach.Est.-60-01/2014- 5537 Patna Dated- 03.11.2023

Copy to:- Director, SC & ST Welfare Department/All Divisional Deputy Director (Welfare)/All District Welfare Officer/IT Manager, SC & ST Welfare Department for information and further necessary action.

Secretary to Government

Memo No. 2D/ Teach.Est.-60-01/2014- 5537 Patna Dated- 03.11.2023

Copy to:- P.S of Honorable Minister SC & ST Welfare Department for information.

Secretary to Government